सं. 22011/3/2013-स्था.(घ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग

*****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक : 25.01.2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सेवानिवृत्ति के बाद दोषमुक्त किए गए सरकारी सेवकों की पदोन्नति - पालन की जाने वाली प्रक्रिया एवं दिशानिर्देशों के संबंध

अधोहस्ताक्षरी को ऐसे सरकारी सेवकों जिनके विरुद्ध अनुशासनिक/अदालती कार्रवाई लंबित या जिनके आचरण की जांच चल रही है, के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया एवं दिशानिर्देशों के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14 सितम्बर, 1992 के कार्यालय ज्ञापन सं. 22011/4/91-स्था.(क) की ओर संदर्भ आमंत्रित करने का निदेश हुआ है। यदि सरकारी सेवक दिनांक 14.09.1992 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2 में उल्लिखित तीनों शर्तों में से किसी के अधीन शामिल किया जाता है तो डीपीसी की सिफारिशें " मोहरबंद लिफाफे" में रखी जाएं और " मोहरबंद लिफाफे" को खोलने के संबंध में बाद की कार्रवाई आनुशासनिक/आपराधिक कार्यवाही पर निर्भर करेगी।

2. यदि अनुशासनिक/आपराधिक कार्यवाही समाप्त होने पर सरकारी सेवक को दोषमुक्त किया जाता है तो दिनांक 14.9.1992 के पैरा 3 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित प्रावधान है:-

> अनुशासनिक मामला/आपराधिक अभियोजन जिसके परिणाम स्वरूप सरकारी सेवक के विरुद्ध अभिकथन खारिज हो जाता है, के समाप्त होने पर मोहरबंद लिफाफे या लिफाफों को खोला जाएगा। यदि सरकारी सेवक को पूरी तरह से दोषमुक्त किया गया है तो उसकी पदोन्नति की नियत तिथि, उसे मोहरबंद लिफाफे/लिफाफों के निष्कर्षों में दी गई स्थिति के संदर्भ के अनुसार और ऐसी स्थिति के आधार पर उसके अगले कनिष्ठ की पदोन्नति की तारीख के संदर्भ के अनुसार तय होगी। सरकारी सेवक को यदि आवश्यक हो, तो सबसे कनिष्ठ स्थापन्न व्यक्ति को प्रत्यावर्तित कर पदोन्नत किया जा सकता है। उसे उसके कनिष्ठ की पदोन्नति की तारीख के संदर्भ में कल्पित पदोन्नति दी जा सकती है। तथापि, क्या संबंधित अधिकारी पदोन्नति की वास्तविक तारीख से पूर्व की कल्पित पदोन्नति की अवधि के लिए वेतन के बकाया का हकदार होगा और यदि हां तो किस सीमा तक, इसका निर्णय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही/आपराधिक अभियोजन में दोषमुक्ति के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करके लिया जाएगा।

जहां पर प्राधिकारी वेतन के बकाया या इसके भाग को देने से इंकार करते हैं, तो ऐसे करने के कारणों को रिकार्ड किया जाएगा। ऐसी सभी परिस्थितियों का अनुमान लगाना और उनकी गणना करना संभव नहीं है जिसके अधीन बकाया वेतन या इसके भाग को देने से इंकार करना अनिवार्य हो जाए। तथापि, ऐसे भी मामले होंगे, जहां कर्मचारी के कहने पर अनुशासनिक या आपराधिक कार्यवाही, में विलंब हुआ हो या अनुशासनिक कार्यवाही में अनापत्ति या आपराधिक कार्यवाही में दोषमुक्ति संदेह का लाभ देकर दी गई हो या कर्मचारी पर आरोपों के लिए साक्ष्यों की अनुपलब्धता के कारण हो। इन्हीं कुछ परिस्थितियों में ऐसे इंकार को सही ठहराया जा सकता है।

3. दोषमुक्ति होने के समय तक सेवानिवृत्त हो जाने वाले सरकारी सेवक के संबंध में उपरोक्त प्रावधानों की अनुप्रयोजनीयता पर निम्नलिखित मामलों के संबंध में विचार किया गया है :-

i. जहां संगत डीपीसी से संबंधित पदोन्नति आदेश जारी किया जा चुका है और पैनलबद्ध अधिकारियों ने सेवानिवृत्त सरकारी सेवक की अधिवर्षिता की तारीख से पूर्व कार्यभार ग्रहण कर लिया हो; और

ii. सेवानिवृत्त सरकारी सेवक सेवा में होता और उस पद पर प्रभार ग्रहण कर चुका होता यदि उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ नहीं की गई होती।

4. व्यय विभाग, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग और विधिक कार्य विभाग के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि मोहरबंद लिफाफा खोलने पर यदि सेवानिवृत्त सरकारी सेवक कल्पित पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया जाता है तो पदोन्नति एवं सेवानिवृत्ति की तारीख तक अनुमानत: पदोन्नति अवधि के वेतन के बकाया के भुगतान का निर्णय दिनांक 14/9/1992 के कार्यालय ज्ञापन सं. 22011/4/91-स्था.(ए) के पैरा 3 के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा लिया जाएगा।

5. ऐसा सेवानिवृत्त सरकारी सेवक जिस पर मोहरबंद लिफाफा खोलने के बाद उसके अगले कनिष्ठ कर्मचारी की पदोन्नति की तारीख से कल्पित पदोन्नति के लिए विचार किया जाता है वह भी उसकी कल्पित पदोन्नति पर इस कल्पित पदोन्नति के आधार पर अपनी पेंशन के निर्धारण का हकदार होगा।

6. इस कार्यालय ज्ञापन में शामिल प्रावधान इसकी जारी होने की तारीख से लागू होंगे। पूर्व के प्रावधानों के अनुसार निपटाए गए पुराने मामले दोबारा नहीं खोले जाएंगे।

sd/-

(गायत्री मिश्रा)

निदेशक (ई.आई)

दूरभाष : 23092479

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रति :-

1. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
2. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
5. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
6. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
7. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
8. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
9. कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली।
10. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अधीन सभी संबद्ध कार्यालय।
11. कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग में सभी अधिकारी एवं अनुभाग
12. स्थापना (घ) प्रभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग **(10 प्रतियां)**
13. वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए एनआईसी, नॉर्थ ब्लॉक ।